

फर्द अहकाम

कृष्णा बनाम रत्नका

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) कांकर
मुजबालय-जयपुर
14/2/24

(जा.पा 0-9 R-13)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	भाषा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/1/24	<p>नाम बरत प्राप्ति दिनांक 24/1/24 को देखा है।</p> <p>सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) कांकर मुजबालय-जयपुर</p>	
24/1/24	<p>पत्रावली देखा हुई। अधिकतरागण उपपत्र उपस्थित। बरत जा.पा 0-9 R-13 पर सुनी गई। पत्रावली नाम बरत। दिनांक 24/1/24 को देखा है।</p> <p>2/</p>	
31/12/24	<p>सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) कांकर मुजबालय-जयपुर</p> <p>पत्रावली देखा हुई। उपपत्र उपस्थित। बरत अधिनापत्र 0-9 R-13 के तथ्यों पर मनन किया वे पत्रावली का गौरवपूर्ण झलसाइन किया। पत्रावली के झलसाइन तथा नथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय राजा द्वारा नियमानुसार व विधिक अवधानों की पालना के अंतर्गत मूल प्रकरण को विचिंतित अंतिम विस्तारण किया गया है। जिसके क्रम में अंतिम क्रियावली के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंतिम दरानुद की किया जा चुका है। जिसके पत्रचार एवं अंतिम डिमी के संयम में किसी प्रकार की उल्लंघना के संयम में निश्चित अधिकतम सतपावधि की पूर्ण के ही पूर्णतः पत्रचार जा.पा क्र.देश 9 क्रि.म 13 अंतर्गत किया गया है जो उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता है। जबकि न्यायालय राजा द्वारा प्राप्ति प्रतिकादी के प्रकरण में विचिंतित उपस्थिति के क्रम में प्राप्ति को मूलका के अंतर्गत उपस्थित नथ्यों के संयम में अपना पत्र अंतर्गत को</p> <p>3/</p>	



सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) कांकर

P.T.O.

फर्द अहकाम
 कृष्ण बनाम रन्कमा व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बानेर
 केस संख्या 14/2024

[प्रा.पा 0-9 R-13]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
31/12/24		<p>तथा तथ्यों के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई उच्च आपत्ति व खंडन उत्पन्न करने हेतु अनेकानेक अनुरोध पदन किए गए। जिसके फल में जावाब/आपत्ति हेतु निश्चित अधिकतम समाप्तवधि (03 माह) पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी धार्षिक/परिवारिक की कोर से वाद का कोई समाप्त/अपेक्षादि खंडन प्रस्तुत नहीं किया जाने पर धार्षिक जावाब अंतर बंद किया गया। तदुपरान्त प्रकरण को बहस आधिकारिक डिक्री हेतु भिन्न किया गया। जिसके अंतर्गत भी न्यायालय 05 माह की अवधि तक प्रकरण के बहस आधिकारिक डिक्री हेतु भिन्न रहते धार्षिक/परिवारिक की कोर से कोई निश्चित/उच्च आपत्ति प्रस्तुत नहीं किए जाने पर तथा भिन्न नारीय परी पर न्यायालय द्वारा में उपस्थित नहीं होने पर धार्षिक/परिवारिक के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के अन्तर्गत धार्षिक प्रकरण में निश्चित धार्षिक के अंतर्गत आधिकारिक डिक्री धार्षिक की गई। जिसके फल में निश्चित अधिकतम समाप्तवधि अंतर्गत ही जाने के उपरान्त भी कोई उच्च आपत्ति/अपेक्षादि धार्षिक की कोर से प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त फल में नारीयदार कोर की कोर से धार्षिक को कुलगत सूचना विधित नारीय जारी कर [नारीय कुलगत] सूचित किया गया परन्तु धार्षिक की कोर से विवाहन अन्तर्गत के संदर्भ में मंडि पर आपत्ति व कोई उच्च आपत्ति/अपेक्षादि प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके उपरान्त वाद धार्षिक कुलगत रिपोर्ट न्यायालय द्वारा के रूप में 03 माह की अवधि तक कुलगत रिपोर्ट पर बहस हेतु पत्रावली के भिन्न रहते समाप्तवधि में कोई उच्च आपत्ति कुलगत रिपोर्ट के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं की गई।</p>

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बानेर
 न्यायालय-जयपुर

P.T.O

फर्द अहकाम
 कृष्ण बनाम रन्कमा व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बानेर
 केस संख्या 14/2024

[प्रा.पा 0-9 R-13]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
31/12/24		<p>जिसके उपरान्त तथ्यों की गुणवत्ता अनुसार प्रकरण अंतिम डिक्री किया गया। जिसके अंतर्गत में डिक्री की पासनाथ राजपूत रिपोर्ट के अन्तर्गत बंद हो जाने के उपरान्त प्रा.पा 0-9 धार्षिक 13 प्रस्तुत किया गया है। जो तथ्यों के अन्तर्गत समाप्त नहीं होता है। अतः धार्षिक धार्षिक परिवारिक की कोर से वाद की प्रत्येक स्तर की माली मांगी जानकारी उपरान्त भी वाद का किसी भी स्तर पर किसी भी रूप में कोई मान्य/अपेक्षादि खंडन भी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा राजपूत रिपोर्ट में अंतिम डिक्रीवली पूर्ण हो जाने के उपरान्त धार्षिक प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। जो अब इस स्तर पर धार्षिक प्रकरण प्रस्तुत नहीं होने से धार्षिक धार्षिक अन्तर्गत 09 धार्षिक 13 धार्षिक किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय प्रत्येक से लिया जाकर भेजा है। पत्रावली के अन्तर्गत अन्तर्गत धार्षिक नम्बर से कम हो। बच नकील धार्षिक दफत (हो)</p>

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बानेर
 न्यायालय-जयपुर